

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड. अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान

अर्जुनलाल वगै०

बनाम

अनिल वगै०

नं० :- 122/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपभ पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं० 3, 4 अनुपस्थित। शेष अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 3, 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं० 1, 2 ने जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.06.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर</p>	
24.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 124/106 रकबा 1.6500 है०, खसरा नम्बर 127/86 रकबा 0.4300 है० वाकै ग्राम रासियावाला, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम रासियावाला, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 124/106 रकबा 1.6500 है०, खसरा नम्बर 127/86 रकबा 0.4300 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। चुकि प्रकरण में एक सीमा वन विभाग से लगती हुई है। अतः वन विभाग को सूचित किया जाकर कार्यवाही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	